फॉर्म ख

तकनीकी समायोजन के संबंध में ब्यौरे का उद्घोषणा का फार्म
अनुसंधान और विकास

अनुसंधान और विकास

1) कंपनी द्वारा विशिष्ट क्षेत्र में किये गये अनुसंधान और विकास

हिन्दुस्तान एंटि. का अनुसंधान और विकास विभाग, विज्ञान और तकनीकी विभाग से मान्यता प्राप्त हैं । फार्मास्युटिंकल्स् और खेतिहर, जानवरों के उत्पाद के क्षेत्र सहित अनेक क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास किया जाता है ।

2) अनुसंधान विकास कोशिशों के परिणामस्वरुप प्राप्त लाभ

- अनेक नये फार्मूलेशन विकास के अंतर्गत है जिसमें एंटि-एन्फलमेंटरी,एंटि हिस्टामिनिक, एंटि एमियोबिक और एंटि इंफेक्टीव ड्रग्स के रूढिवादी डोसेज आते है ।
- मुख्य उत्पाद ''सिफक्लोर घुलनशील गोलियाँ लिवोफ्लोसासिन गोलियाँ'', लिवोफ्लोसासिन इन्फूशन और लिवोफ्लोसासिन + डक्ट्रोस इन्फूशन का विकास ''अमोक्सिसीलिन'' + लेक्टिक एसिड बेसिलस घुलनशील गोलियाँ और सिफोपिराजोन प्लस सुल्वैक्टम इन्जेक्शन का वाणिज्यकरण
- वर्तमान फार्मूलेशन की लागत नियंत्रण प्रक्रिया हाथ ली गई है ।
- बायोपेस्टीसाइड बेसीलस थुरिंजीनेसीस (खेतीहर उपयोग के लिये) का विकास और वाणिज्यकरण के लिये तैयार है ।
- बायोपेस्टीसाइड ट्रिचोडरमा विरिडी पर आधारित विकास और वाणिज्यकरण के लिये तैयार है ।
- वर्तमान उपलब्ध नशीली औषधि शिनाख्त किट में सुधार और उत्पादन आरम्भ किया है दो नये किट उदा. छोटे माप के नशीली औषधि शिनाख्त किट (स्थापक शक्तिक और निर्जलीय) और पूर्वगामी रसायन कीट का विकास यह परियोजना से वित्तीय वर्ष के दौरान 50 लाख रु. राजस्व उत्पत्ति प्राप्त की है ।
- इलिसा ग्रेड पेसिलिनिनेस उत्पादन पुन: आरम्भ और विपणन के लिये आरम्भ किया ।

3) भविष्य के लिये योजनाएं

- प्लाझिलॉक (लियोफलोक्सेसिन इन्फयुजन) गोलियाँ और प्लाझिलॉक - डीआयव्ही) (लियोफलोक्सेसिन + 5% डेक्सट्रोज) सिफाक्लोर घुलनशील उत्पाद का आरम्भ
- सिफुरोसिम एक्सीटिल गोलियाँ, सिफोटाझिम प्लस इंजेक्शन सिफ्याजोन प्लस सुल्बैक्टम इंजेक्शन, फ्लूकोनाजोल गोलियाँ, फ्लुकोनाजोल प्लस टिनिडाजोल गोलियाँ के फार्मूलेशन का विकास ।

- एंटि-एन्फल्मेंटरी,एंटि हिस्टामिनिक, एंटि एमियोबिक और एंटि इंफेक्टीव ड्रग्स फार्मूलेशन का विकास ।
- बायोपेस्टीसाईड और बायोफर्टिलाइज का उत्पादन
- इंटिरफिरान्स और कालोनी स्टीम्युलेटिंग फक्टर का विर्निमाण बाहर की पार्टी से ।
- नये कंपांउंड का परीक्षण, बायोपेस्टीसाईड और केमिकल्स का परीक्षण ।

4) अनुसंधान और विकास पर व्यय	
क) पूंजी	शून्य
ख) आवर्ति	108.48 लाख रु.
ग) कुल	108.48 लाख रु.
घ) कुल आवर्त का अनुसंधान और विकास पर किये गये व्यय का प्रतिशत	1.55

तकनीकी समायोजन स्वीकार करना और नूतनीकरण

1) तकनीकी समायोजन, नूतनीकरण और स्वीकार करने के संबंध में की गयी कोशिशों का संक्षिप्त विवरण	1 मेसर्स आर्धुर डेनियल मैक डुगोल युएसए बायोफिन लैबोटरी, इटली जैसे देशो के तकनीकी सहायता से नयी तकनीकी का प्रयोग कर नये उत्पाद आरम्भ करने की कोशिश जारी है । 2 ये तकनीकी खाली पडे संयंत्र मे आरम्भ करने के लिये मूल्यांकन किया जा रहा है ।
2) उपरोक्त कोशिशों से प्राप्त लाभ उदा. उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास, निर्यात, स्थानापन्न, इत्यादी	प्रक्रिया में परिवर्तन के द्वारा लागत में सुधार को प्रभावी बनाया गया है ।
3) आयातिति तकनीकी के मामले में (वित्तीय वर्ष को छोडकर पिछले 5 वर्षो के दौरान आयातित संबंध में निम्नलिखित सूचना प्रदान करें)	लागू नही
क) आयातित तकनीकी	-
ख) आयात का वर्ष	-
ग) क्या तकनीकी को पूर्णतः स्वीकार किया गया ।	-
घ) यदि पूर्णतः स्वीकार नहीं किया गया तो उसका कारण बतायें ।	-

विदेश विनिमय और अर्जन और व्यय

ङ) निर्यात से संबंधित कार्य निर्यात वृद्धि के लिये उठाये गये कदम । उत्पाद के लिये बाजार सेवाएं और विकास और निर्यात योजनाएं	वर्ष के दौरान निर्यात का मूल्य 486 करोड रु. रहा । नये व्यापार क्षेत्र जैसे युगांडा, येमेन, पश्चिम अफ्रिका देश, श्रीलंका, झिंबाब्वे यूएई इत्यादि देशों में विस्तार की योजना है ।
च) कुल विदेश मुद्रा	
प्रयोग	634.46 लाख रु.
अर्जित	486.31 लाख रु.

सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों और प्रबंधन के उत्तर

सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा वर्ष 2004-2005 के लिये प्रस्तुत की गयी टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर

सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ	प्रबंधन के उत्तर
1. हमने 31 मार्च 2005 को हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स प्रायवेट लि, (कंपनी) तुलनपत्र और उसके साथ संलग्न उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिये लाभ और हानि लेखों का और अनुलग्न उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिये नकदी प्राप्ति विवरण परीक्षण किया है और हमने इस रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षर किये है कि ये वित्तीय विवरण कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है । हमारा दायित्व वित्तीय विवरण के आधार पर हमारा लेखा परीक्षण के संबंध में अपनी राय प्रस्तुत करना है ।	कोई टिप्पणी नही ।
2. हमारा लेखा परीक्षण भारत में सामान्यत: स्वीकार लेखा परीक्षण मानक के अनुसार किया गया है । इन मानक की हमारा लेखा परीक्षण हमारी राय को महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है । इस मानक की आवश्यकता के अनुसार हम लेखा परीक्षण की योजना और लेखा परिक्षण इस प्रकार करते है कि जिससे हमें यह ज्ञात हो सके कि वित्तीय विवरण अयथार्थ विवरण से मुक्त है । लेखा परीक्षण के अंतर्गत, परीक्षण, परीक्षण के आधार पर, रकम को प्रमाणित करने वाले प्रमाण, वित्तीय विवरण का उदघटन शामिल है। लेखा परीक्षण के अंतर्गत लेखा नीतियों का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण परिकल्पनाए के साथ संपूर्ण वित्तीय विवरण प्रस्तुति का मूल्यांकन शामिल है । ह म ें विश्वास है कि हमारा लेखा परीक्षण हमारी राय को महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है ।	कोई टिप्पणी नही ।
3. केन्द्रीय सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 के विभाग 227 (4क) उपअनुभाग द्वारा जारी आदेश 2004 (संशोधित) लेखा परीक्षण रिपोर्ट) आदेश 2003 (लेखा परीक्षण) रिपोर्ट की आवश्यकता अनुसार और कंपनी के लेखा और बहियों के पडताल के आधार पर और हमे दिये गये सूचना और विवरण के आधार पर संलग्न करते है । हम आगे टिप्पणी करते है कि उपरोक्त अनुलग्न में संदर्भित हम रिपोर्ट देते है ।	कोई टिप्पणी नही ।
4. हमने वे समस्त सूचना और स्पष्टिकरण प्राप्त किये है जो कि हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा उद्देश्य के लिये अपेक्षित है ।	-
5. हमारी राय में बहियों के परीक्षण से ज्ञात होता है कि विधि द्वारा अपेक्षित लेखों की बहियों का उचित रिकार्ड रखा है । ये बहियां हमें शाखाओं से प्राप्त हुई है वहां हमने निरीक्षण नहीं किया है ।	-

सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ	प्रबंधन के उत्तर
6. इस रिपोर्ट में दिये गये तुलनपत्र और लाभ और हानि खाता और नगदी प्राप्ति विवरण लेखा पुस्तकों के करार के अनुसार है। लेखा परीक्षा के दौरान पारित कुछ शुद्ध की गयी है उसे तदानुसार वर्षो किया गया है ।	-
7. हमारी राय में लाभ और हानि खाता, तुलनपत्र कंपनी अधिनियम 1956 के अनुभाग 211 के उपअनुभाग (3ग) में संदर्भित लेखाकरण मानक के अनुसार है सिर्फ	कोई टिप्पणी नही ।
क) लेखा मानक 9 'राजस्व मान्यता' को छोडकर जिसमें वसूली बिक्री के उद्‌घटन सीमा शुल्क को कम कर बिक्री के मूल्य लाभ हानि खाता में दिखाया गया है ।	निवल बिक्री और उत्पाद शुल्क को लाभ और हानि लेखा में अलग से दिखाया गया है जो कि लेखा मानक-9 के अनुपालन के अनुसार पर्याप्त है । इससे लाभ-हानि लेखा में प्रभाव नहीं पडेगा
ख) लेखा मानक 26 इन्टेंजिबल परिसंपत्तियाँ के अनुपालन के अनुसार अस्थगित राजस्व व्यय को बट्टे खाते में डाला है और उसे लाभ और हानि लेखा में अतिसामान्य मद में उपचरित किया है ।	लेखा मानक 26 की आवश्यकतानुसार कंपनी ने अस्थगित राजस्व व्यय को बट्टे खाते में डाला है और मानक के अनुपालन ना होने का प्रश्न नहीं उठता है ।
8. सरकारी कंपनी होने के कारण भारत सरकार वित्त मंत्रालय कंपनी व्यापार विभाग द्वारा जारी अधिसूचना जीएसआर 829 (इ) दिनांक 21 अक्तू 2003 कंपनी अधिनियम 1956 विभाग 274 के उप विभाग (1) की धारा(जी) निदेशकों का अयोग्य घोषणा कंपनी पर लागू नहीं होता है ।	
9. हम आपका घ्यान निम्न की ओर आकर्षित करना चाहते है। i) हमें प्रबंधन द्वारा दिये गये अभिवेदन पर विश्वास है कि कंपनी के पास संयुक्त उपक्रम मेक्स जीबी प्रभावी नियंत्रण नहीं है जिसका लेखा मानक 27 ''संयुक्त उपक्रम में ब्याज के लिये लेखाकरण और उसके उपरांत लेखा मानक ग्राहय ना होंगे।''	कंपनीका संयुक्त उपक्रम पर नियंत्रण ज्यादा प्रभावी नहीं है इसे लेखा मानक 27 में दिखाया गया है ।
ii) बोर्ड की बैठक कंपनी अधिनियम 1956 के अनुभाग 285 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक तिमाही में नहीं होती है ।	बोर्ड की बैठके प्रत्येक तिमाही मे कंपनी अधिनियम के अनुभाग 285 अनुसार होती है । कुछ बैठके स्थगित की गई है उसे अनुभाग 285 को उल्लंघन नहीं कहा जा सकता । इसे अनुभाग 288 (2) में उचित रूप से उदघटित किया गया है ।
iii) मालसूचियां के अचल मदों के प्रावधान के संबंध में हमने भविष्य में इस प्रकार के मदों की उपयोगिता के संबंध में तकनीकी मामला होने के कारण प्रबंधन की राय पर विश्वास किया है। अचल मालसूचियों के संबंध में कुल रक वर्षो से अधिक 261.21 लाख रूपये है जिसके लिये सिर्फ 21.02 लाख रूपये का प्रावधान किया है ।	प्रावधान समुचित है इसकी पुष्टि की गई है ज्यादातर बकाया मालसूचियां बीमा किये गये पूर्जो की है इस प्रकार के मदों का प्रयोग आवश्यकतानुसार उनके स्थानांतरण पर किया जायेगा । इस प्रकार के मदों की परिवीक्षा समय समय में गठित की गई तकनीकी समिति द्वारा की जाती है ।
iv) अनुसूची 24 के नोट सं. 14(म)भविष्य निधि के अंशदान और	

सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ	प्रबंधन के उत्तर
विलंब के संबंध में कंपनी अधिनियम के अनुभाग 418 के अतिक्रमण हुआ है जिसके अंतर्गत इस प्रकार के अंशदान के भुगतान 15 दिनों के भीतर होना चाहिये ।	कंपनी नियमित रूप से भविष्य निधि अंशदान का भुगतान करती है है। और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भविष्य निधि बकाया नहीं है
v) ओएनजीसी को भुगतान योग्य ब्याज के प्रावधान नहीं किये जाने के कारणों पर हमने भरोसा किया है अनुसूची 24 नोट संख्या 14(थ)	कोई टिप्पणी नहीं
vi) बकाया और उसके उपरांत समायोजन की पुष्टि के संबंध में अनुसूची 24 नोट सं. 14 (ख)	कोई टिप्पणी नही
vii) तीन वर्षो से अधिक बकाया ऋण और अग्रि म का प्रावधान नहीं किया है । और इससे रकम ज्ञात नहीं हुई है ।	बकाया की वसूली के लिये कानूनी कार्यवाही आरंभ किये जाने के कारण प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है ।
viii)अनुसूची 24 के नोट संख्या 14 (श) संदिग्ध देनदारों के पास तीन वर्षो से अधिक बकाया का प्रावधान पर्याप्त होने का हमे संदेह है।	संदिग्ध देनदारों का प्रावधान पर्याप्त है
ix)कंपनी ने संयुक्त उपक्रम एचएमजीबी के लिये डुंबन निधि का निर्माण नहीं किया है जिसके अंतर्गत जबकि सरकार ने संयुक्त उपक्रम के अनुमोदन पर यह शर्त रखी थी कि कंपनी भारत सरकार को कंपनी द्वारा लिये गये जमा के संशोधन पर उसका भुगतान करेगी ।	कंपनी ने कार्यकारी पूंजी की गंभीर कमी और एचएमजीबी से सम्पूर्ण पट्टे पर किराया प्राप्त न होने पर डुंबन निधि का प्रावधान नही किया है ।
x) अनुसूची 24 के नोट संख्या 14 (ज) और (झ) संयुक्त उपक्रम में प्रचालन समाप्त करने पर हानि के संबंध में प्रावधान का बताए गये नोट में ब्यौरा दिया गया है ।	कंपनी ने तथ्यों का उजागर अपनी नोट संख्या अनुसूची 24 (14) (झ) में किया है हमारी राय में इस स्तर पर कोई भी अतिरिक्त प्रावधान उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंपनी ने डीएसएम एंटि इफेक्टिव लि, से 303.25 करोड रू. की वसूली के लिये कानूनी कार्यवाही आरंभ की है ।
xi) लेखा का निर्माण जारी कंपनी आधार पर बनाया गया है जब कि कंपनी का निवल समाप्त हो गया है । भविष्य में कंपनी अनुसूची 24 नोट संख्या 14 (घ) में पूर्नरुत्थान योजना के कार्यान्वयन की विस्तृत जानकारी की सफलतापूर्वक कार्यान्वयन और निधि उपयोग पर निर्भर है ।	भारत सरकार ने पुनरूत्थान योजना का अनुमोदन 17 मार्च 2006 प्रदान किया है ।
xii) सहायक कंपनियों द्वारा बकाया 668.57 लाख रू. का प्रावाधान नहीं किया गया है ।	एमएपीएल से कुल 668.57 लाख रूपये में से 387.59 लाख रू. स्थायी परिसंपत्तियों का प्रभारित की है बकाया 280.98 लाख रू. भारत सरकार और वित्तीय संस्थानों द्वारा मंजूर की गयी रियासते और छूट के लेखाकरण के समय बट्टे खाते मे उपलब्ध कराया जायेगा ।